

केन्द्रल कुंवर लक्ष्मण खेजय चौके

मैं थांना प्रभारी दे हला

के प्रतिवेदन से सन्तुष्ट हूँ कि प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से मुक्ति विवाद को लेकर झगड़ा के कारण मेरे अधिकारिता क्षेत्र के अर्न्तगत शांति भंग होने की संभावना है।

अतः द्वितीय पक्ष के विरुद्ध दफा 107 व 0 प्र 0 स 0 की प्रक्रिया कायम की जाती है। द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 8.4.17 को मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करे कि क्यों नहीं उन्हें एक वर्ष तक शांति बनाये रखने हेतु एक-एक हजार रुपया का बन्धपत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

5986
16.3.17

328
(am)

Hahay
14/3/17

अनुमण्डल पदाधिकारी
सदर, मेदिनीनगर

8.4.17

जो लिख ना साहित्य चण्डाण
प्रथम पक्ष की साहित्य
पक्ष के चाम राय राय
ना साहित्य द्वितीय पक्ष के एक
समय को साहित्य चण्डाण के साथ
समय का साहित्य दिनांक
29.4.17 को रखे।

म 3 05 25

29.4.17

जो लिख ना साहित्य चण्डाण
द्वितीय पक्ष की साहित्य दिनांक 20.4.17
को रखे।

अनुमण्डल

20.5.17

प्रथम पक्ष की साहित्य चण्डाण
द्वितीय पक्ष की साहित्य चण्डाण
जो लिख ना साहित्य चण्डाण
द्वितीय पक्ष के आदेश पर साहित्य
को साहित्य चण्डाण की साहित्य

20/05/17